

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 69] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 26, 1982/फाल्गुन 7, 1903
No 69] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 26, 1982/PHALGUNA 7, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आवेश

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1982

का. आ. 102 (अ) 15/आई.डी.आर.ए./82 :—केंद्रीय सरकार,
उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा
15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 831 (अ), तारीख 28
नवम्बर, 1981 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में अन्तिम पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा

जाएगा, अर्थात् :—

“उपयुक्त निकाय अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को 31 मार्च, 1982 तक देगा।”

[फा. सं. 3(8)/81-सी. यू. एस.]

एस. एल. कपूर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 26th February, 1982

No. S.O. 102(E)/15/IDRA/82.—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development), No. S.O. 831(E), dated the 28th November, 1981, namely :—

In the said Order, for the last paragraph, the following shall be substituted, namely :—

“The above body shall submit its report to the Central Government by 31st March, 1982”.

[F. No. 3(8)/81-CUS]

S. L. KAPUR, Jt Secy.